# कार्यालय झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

प [illegible] 131 /जे.डी.ए.–ग्रुप हाउसिंग–(2021–2022) दिनांक 01.07.2021

माँ पीताम्बरा डेवलपर्स
द्वारा संजय अरोरा
झोकनबाग सिविल लाईन्स, झांसी।

आपके द्वारा प्रस्तावित स्थल के खसरा संख्या 355 मौजा–झांसी सिविल, झांसी के द्वारा पूर्व स्वीकृत ग्रुप हाउसिंग मानचित्र संख्या–010100116 में दर्शित स्थल पर निम्नलिखित शर्तों के साथ संशोधित मानचित्र की अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैद्य है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिये निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जाएगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
5. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत यदि भविष्य सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
6. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नही होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नही होगी। रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा।
7. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृति के अनुसार कराया जायेगा।
8. आप भवन उप–नियमों के नियम 21 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य करने की सूचना देंगे।
9. निर्माण की अवधि में स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
10. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
11. प्राधिकरण के अध्यासन (औकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूपायी) करेंगे।
12. मानचित्र की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है :–
    - ➢ संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गयी अनापत्ति प्रमाण पत्र में लिखित शर्तो को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
    - ➢ समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत किये गये आदेशों तथा निर्धारित की गयी नीतियों का पालन करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
13. उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।
14. मानचित्र की स्वीकृति अनुबंध में उल्लिखित शर्तो के अधीन है।
15. लेवर सेस प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय में जमा करना होगा।
16. प्राधिकरण कार्यालय के पत्र संख्या–235ए/जे.डी.ए./मानचित्र/2021–22 दिनांक 09 जून 2021 में दी गयी किश्तों को निर्धारित समय में प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा। किश्तें जमा न करने की स्थिति में मानचित्र निरस्त समझा जायेगा।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक :– स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि :– अवर अभियंता ..........................................को प्रेषित।

1.7.21

सचिव
झांसी विकास प्राधिकरण

Scanned with CamScanner